न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 81 / 2018

1 श्योपाल पुत्र स्व. भूदाराम जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 भूमिधारक जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 19.06.2018 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा उनवानी श्योपाल
बनाम भूमि धारक जरिये तहसीलदार मु.नं. 243 / 2017
वाद रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 28/2/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 243/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 186, 779, 780, 781/1, 781/2 वाके ग्राम नांगलिया गुर्जरवास का पेश कियां। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में तनकीयात भी कायम नहीं की तथा न ही अपीलान्ट/वादी का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कोई अवसर दिया गया। जबकि वर्तमान प्रकरण पूर्णतया उभयपक्षकारान की साक्ष्य से ही अंतिम रूप से निस्तास्ति होना था। इस महत्वपूर्ण प्रावधान को दरकिनार करते हुए वाद वादी खारिज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी कानूनी भुल की है। राजस्व विभाग के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालतों में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए जिसमें उभयपक्षकारान ने आपस में राजीनामा कर लिया हो या सभी पक्षकारों की सहमति से निर्णय पारित किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में पत्रावली की सुनवाई राजस्व लोक अदालत कैम्प नांगलिया गुर्जरवास में होने बाबत कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, न ही वादी या उसके अधिवक्ता उक्त राजस्व कैम्प में उपस्थित थे। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.06.2018 को आयोजित राजस्व कैम्प में अपीलान्ट/वादी की उपस्थिति गलत रूप से दर्ज कर आर्बीट्रेरी रूप से उभयपक्षकारान की बहस सुनना अंकित कर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। भूमि गत खसरा नम्बर 186 के 2.50 हैक्टेयर में से 300 वर्गफुट अर्थात 27.87 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट/वादी पुख्ता मकान व छान छप्पर बनाकर कदीम से काबिज था। जिसके आधार पर प्रतिवादी ने उक्त भूमि पर अपीलान्ट/वादी का कदीमी व पुराना कब्जा मानते हुए दिनांक 22.01.1993 को वादी के हक में नियमन सिफारिश की थी। उक्त नियमन सिफारिश के आधार पर वादी ने उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष दिनांक 20.02.2002 को उसके द्वारा कब्जे शुदा भूमि में से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने दिनांक 20.02.2022 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

कर पट्टा संख्या राजस्व/भू.रूपा./2002/693–696 दिनांक 23.03.2002 नियमन आदेश अपीलान्ट/वादी के हक में जारी किया था। भूमि गत खसरा नम्बर 186 के मिन खसर नम्बरों कमशः 779, 781/1, 781/2 ो बने टुकड़ो के रूप से विभाजित थी तथा वादी अपने कदीमी कब्जे के आधार पर उक्त सम्पति के हदूद के मध्य स्थित पर काबिज रहा है परन्तु सहवन या भूलवश हल्का पटवारी ने वादी के कब्जे वाली भूमि को खसरा नम्बर 780 के बजाय 781/1 में दर्शाकर उक्त भूमि के बाबत वादी के हक में कब्जा रिपोर्ट प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जबकि उक्तानुसार वादी गत खसरा नम्बर 186 से हाल पैमाईश में नवनिर्मित खसरा नम्बर 780 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से 300 वर्गफुट भूमि पर काबिज निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है तथा वह अपने उक्त पुख्ता मकान व छान छप्पर में व्यापारिक गतिविधियां चलाता आ रहा है। यह तथ्य पूर्णतया वादी ने साबित भी किया परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त प्रकरण को राजस्व कैम्प में ले जाकर इकतरफा रूप से खारिज कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ऐसे प्रकरण जिनमें कोई गैर खातेदार दर्ज हो तथा भूमि आवंटन का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हो तथा गैर खातेदारी संवत 2012 के आस–पास से चली आ रही हो तो राजस्व विभाग राजस्थान के आदेशानुसार ऐसे गैर खातेदारों को अतिकमी मानते हुए राजस्थान भू–राजस्व(कृषि कार्य हेतु भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20) के अन्तर्गत भूमि का नियमन करने का प्रावधान है। परन्तु वादी स्वयं के द्वारा राजकीय आराजी खसरा नम्बर 781/1 रकबा 0.54 हैक्टेयर गै.मु. बणी कर किये गये अतिक्रमण बाबत अतिक्रमित भूमि के नियमन हेतु आवेदन करने पर बाद जांच वादी का कब्जा 300 वर्गफुट पर सन 1994 से पूर्व का माना जाकर नियमन सिफारिश होने पर उक्त खसरा नम्बर 781/1 रकबा 0.54 हैक्टेयर में से 27.87 वर्गमीटर का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु वादी के हक में दिनांक 23.03.2002 को आदेश

जारी हो चुका है। इस प्रकार वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 781/1 पर कब्जा होना नायब तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2001 एवं नियमन आदेश दिनांक 23.03.2002 से स्पष्ट है। धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मात्र लिपिकीय त्रुटियों को दुरूस्त करने का प्रावधान है, किसी को खातेदारी अधिकार दिया जाना लिपिकीय त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 781/1 गैर मुमकिन बणी में वादी को नियमित 27.87 वर्गमीटर के नियमन को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 780 गैर मुमकिन बणी में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रथम तो रिकार्ड दुरूस्ती के वाद में घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। द्वितीय गैर मुमकिन बणी के संबंध में वादी खातेदारी के संदर्भ में राजस्व न्यायालय से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में गैर मुमकिन बणी की भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)